न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—56 / 2018 / 75 (2018 / 00056)

1. भोमा पुत्र नाथा, जाति रावत, निवासी ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर, जिला अजमेर ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत खोरी, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर, दिनांक 22.5.2017 .

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 25.9.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 22.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर जिला अजमेर में स्थित है । उपरोक्त आराजियात के पुराने खसरा नंबर 533 है जिसके नवीन खसरा नंबर 649 व 648 बने है जिसमें अपीलांट के खेत खसरा नंबर 533 का रकबा जोड़कर नये नंबर बनाये गये है । उपरोक्त खसरा नंबरान का पुराने नक्शा ट्रेस संवत् 2071 से 2072 में स्पष्ट रूप से अंकन है जिसमें सड़क से लगते हुए खसरा नंबर 533 स्पष्ट रूप से एक लम्बी पट्टी के रूप में दिखा हुआ है परन्तु हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में अपीलांट के उपरोक्त खसरा नंबरान को परिवर्तित करते हुए अपीलांट की खातेदारी के खेत के कोने पर खसरा नंबर 647 / 1004 दर्शा दिया गया है तथा उपरोक्त खसरा नंबर 647 / 1004 रकबा 0.11 है0 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के आदेश दिनांक 22.5.2017 को राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 की धारा 92 व प्रदत्त शक्तियों एवं राजस्व (ग्रुप—6) विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ.9 (25) राजस्व / 6 / 2014 / 2013 दिनांक 4.5.2017 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हए ग्राम पंचायत खोरी को आबादी विस्तार के लिए आंवटन कर दी गई । जिसके कारण से उपरोक्त खसरा नंबर जो कि राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण तरीके से अपीलांट के खेतों में दर्शा दिया गया है, के आधार पर ग्राम पंचायत रेस्पो0 संख्या 3 अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हो रही है । अधीनस्थ न्यायालय के इस

आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट उसकी खातेदारी की आराजियात से महरूम हो जा रहा है जिससे वह व्यथित पक्षकार है । अतः श्रीमान् से प्रार्थना पत्र है कि अपीलांट को उपरोक्त अपील व्यथित पक्षकार होने से पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी परन्तु दिनांक 10.2.2018 को जब ग्राम पंचायत ने अपीलांट को उपरोक्त आराजियात से बेदखल करने का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ कि नक्शे की त्रुटि के कारण उपरोक्त आवंटित भूमि अपीलांट के खेतों में दर्शा दी गई है । तत्पश्चात् दिनांक 16.2.2018 को आदेश की प्रति प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 20.2.2018 को प्राप्त हुई तथा अजमेर आकर अपील तैयार करवाकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित आराजियात के पुराने खसरा नंबर 533 है जिसके नवीन खसरा नंबर 649 व 648 बने है जिसमें अपीलांट के खेत खसरा नंबर 533 का रकबा जोड़कर नये नंबर बनाये गये है । उपरोक्त खसरा नंबरान का पुराने नक्शा ट्रेस संवत् 2071 से 2072 में स्पष्ट रूप से अंकन है जिसमें सड़क से लगते हुए खसरा नंबर 533 स्पष्ट रूप से एक लम्बी पट्टी के रूप में दिखा हुआ है परन्तु हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में अपीलांट के उपरोक्त खसरा नंबरान को परिवर्तित करते हुए अपीलांट की खातेदारी के खेत के कोने पर खसरा नंबर 647/1004 दर्शा दिया गया है तथा उपरोक्त खसरा नंबर 647/1004 रकबा 0.11 है0 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के आदेश दिनांक 22.5.2017 को राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 92 व प्रदत्त शक्तियों एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ.9 (25) राजस्व/6/2014/2013 दिनांक 4.5.2017 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हएु ग्राम पंचायत खोरी को आबादी विस्तार के लिए आंवटन कर दी गई । जिसके कारण रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उपरोक्त आराजियात को गलत तौर पर वर्तमान नक्शे के आधार पर आवंटित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश उिदनांक 22.5.2017 से पूर्व कभी भी उपरोक्त आराजियात मौके पर सिवायचक नहीं थी और उपरोक्त आदेश से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है और बिना मौके की जांच करे आदेश जारी किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस मे निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा सिवायचक खाते से ग्राम पंचायत खोरी के नाम दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया गया था । उक्त

प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने तहसीलदार को विवादित आराजियात के संबंध में निर्धारित चैकलिस्ट में प्रस्ताव तैयार करने प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का के माध्यम से विवादित भूमि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में चैकलिस्ट में प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये है जिसमें विवादित आराजियात सिवायचक खाते में गै0मु0 आबादी के रूप में दर्ज होकर आबादी बसी हुई होना अंकित किया है । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात के संबंध में पूर्ण जांच कर विवादित आराजियात को ग्राम पंचायत खोरी को सेट–अपार्ट किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर स्थित पुराना खसरा नंबर 533 जो कि 1971–1972 के राजस्व नक्शे में सड़क से लगते हुए लंबी पट्टी के रूप में दिखाया गया है परन्तु हाल राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नंबर 533 को परिवर्तित करते हुए अपीलांट की खातेदारी के खेत के कोने पर खसरा नंबर 647/1004 दर्शा दिया गया है एवं उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 22.5.2017 के अनुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत खोरी को आबादी विस्तार हेतु आवंटित कर दी गई है। अधी0न्याया0 के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर हल्का तहसील कार्यालय एवं हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत अधीनस्थ अधिकारी द्वारा वर्तमान प्रचलित राजस्व नक्शे एवं रिकार्ड के अनुसार ही विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है । यदि अपीलांट को वर्तमान प्रचलित राजस्व अभिलेख अथवा राजस्व नक्शे में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो सर्वप्रथम राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में दुरूस्ती की विधिवत् कार्यवाही करनी चाहिये थी । दुरूस्ती होने के उपरांत अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी जा सकती है । परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सीधे ही उपखण्ड अधिकारी के आदेश राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में दुरूस्ती कराये बिना चुनौती दी गई है । इस कारण अपीलांट किसी भी प्रकार से अपीलाधीन आदेश से व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

10. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.9.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,

अजमेर